फैक्स

सेवा में:— होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानूनव्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर/जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।

प्रेषक :— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्या— पीआरओ सैल.—सरा0कार्य/2021 दिनॉक: मार्च 21, 2021

:: सराहनीय कार्य::

जनपद मुजफ्फरनगर में थाना तितावी पुलिस ने मात्र 24 घन्टे में किया हत्या के अभियोग का सफल अनावरण, 01 हत्यारा अभियुक्त गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में थाना तितावी पर दिनॉक 19.03.2021 को वादी श्री निकुँज पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्रम काजीखेडा जनपद मुजफ्फरनगर ने तहरीर देकर थाना तितावी पुलिस को अवगत कराया कि उासका छोटा भाई अनुज बालियान सुबह को करीब 10 बजे भैंसा बुग्गी लेकर खेत पर चारा लेने के लिए गया था, खेत से नौकर भैंसा बुग्गी लेकर वापस आया, लेकिन भाई अनुज के न आने पर नौका से पूछताछ की गयी तो नौकर ने कुछ नही बताया और चला गया। निकुँज के द्वारा अनुज की तलाश खेत में की गयी तो अनुज का शव खेत पर ही पडा जिसको गंम्भीर चोट के निशान थे। जिस पर थाना तितावी पुलिस द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर थाना तितावी पर मु0अ0सं0—99/21 धारा—302 भादवि0 बनाम अज्ञात में पंजीकृत किया गया।

जिसपर मु0अ0सं0—99/21 धारा—302 भादवि0 के तत्काल के सफल अनारण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक देहात के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी फुगाना के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष श्री राद्येश्याम यादव मय व0उ0नि0 श्री के0पी0 सिंह मय उ0नि0 श्री मोहित कुमार, का0 92 सतेन्द्र कुमार, का0 1827 सुनील कुमार मय चा0का0 सुनील चावडा के थाने से रवाना होकर वास्ते तलाश वॉछित/वारंटी व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व मु0अ0सं0—99/2021 धारा—302 भादवि0 में अभियुक्तगण की तलाश में मामूर होकर ग्राम काजीखेडा से हाईवे की तरफ काजीखेडा बस स्टैण्डा के पास पहुँचा, तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि मु0अ0सं0—99/2021 धारा—302 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू उर्फ आदित्य अभी—अभी काजीखेडा बस स्टैण्ड हाईवे की तरफ गया है। जो कहीं जाने की फिराक में है। यदि जल्दी की जाएँ तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना तितावी पुलिस मय मुखबिर बताएँ गए स्थान पर पहुँचे, तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो लडका नीली सर्ट पहने सडक के किनारे खडा है वही गुड्डू उर्फ आदित्य है और मुखबिर वहॉ से चला गया। तत्पश्चात् थाना तितावी पुलिस टीम ने एकबारगी दबिश देकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए काजीखेडा बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम **1— गुड्डू उर्फ आदित्य पुत्र सतेन्र्द उर्फ सतवीर निवासी ग्राम काजीखेडा थाना तितावी मुजफ्फरनगर** बताया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:—

1— गुड्डू उर्फ आदित्य पुत्र सतेन्र्द उर्फ सतवीर निवासीं ग्राम काजीखेडा थाना तितावी मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:—

1—थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री राद्येश्याम यादव थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
2—व0उ0नि0 श्री के0पी0 सिंह थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
3—उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
4—का0 92 सतेन्द्र कुमार थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
5—का0 1827 सुनील कुमार थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
6—चा0का0 सुनील चावडा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

नोट— उक्त हत्या की घटना में गिरफ्तार अभियुक्त की रक्त रंजित टी—शर्ट बरामद की गयी है तथा घटना में प्रयुक्त खून से सनी ईटें व शराब के खाली पव्वे तथा गांजा की पुड़िया को पूर्व में ही बरामद कर लिया गया था, गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया है।

नोटः— गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा हत्या की घटना कारित करने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर